

HN-2406

(1)

Most Immediate

16/11/13

No. EDN-C-B(6)-1/2012
Government of Himachal Pradesh
Department of Elementary Education

From:

Pr. Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh

To

The Director Elementary Education-cum-
Mission Director(SSA),
Himachal Pradesh, Shimla-1.
Dated Shimla-171002, the

November, 2013

Subject:-

Regarding formulation of Policy for Block Resource Centre
Coordinators(BRCCs) under Sarva Shiksha Abhiyan.

Sir,

In continuation of this deptt. letter of even No., dated 29th. October, 2013, on the subject cited above and to say that in order to measure the performance with the aid of Evaluation tool, the duties and responsibilities of BRCC need to be defined comprehensively and same have not been included in Annexure-A which has already been sent in the above mentioned letter. To fulfill this essential requirement, the approved Job Chart of the BRCCs & selection process is as under:-

Job Chart

- i. Analysis of each term test to assess the achievement level of children against the defined learning standards for class 1-8.
- ii. Identification of high and low performing schools on the basis of learning achievement of children and display of the same on the notice board of the BRCCs office.
- iii. Academic support to all schools teachers.
- iv. Every school must be RTE complaint in the Blocks and Clusters in terms of following nine parameters i.e.:-
 - a) Usable Girls toilets
 - b) Usable Boys Toilets

Supdt
16/11/13
16/11/13

- c) Safe drinking water
- d) Ramps & hand rails
- e) Pupil Teacher Ratio (PTR)
- f) Students Class Room Ratio (SCR)
- g) Boundary wall
- h) Play Ground
- i) Library

(Note:-Proper record of schools should be maintained in this regard)

- v. Identification of six major changes (3 qualitative and 3 quantitative) including achievement level trends of students in schools over a period of time.
- vi. Collection, coverage of all schools (Pvt. & Govt.), timely submission, analysis of DISE data of their respective blocks & determining the gaps and strategies for their removal.
- vii. Identification of good clusters or schools (To be justified through documentation).
- viii. Regular updating of Village Education Registers (VERs) which is mandatory according to RTE Act provision.
- ix. Assessment and feedback of the trainings organized time to time.
- x. Conducting micro studies and action research.
- xi. Teach students in neighbourhood school being developed as Model School at the Block level whenever there is no SSA/RMSA work to be performed (Proper record of classes/subjects taught shall be maintained by the School head and BRCC in this regard).
- xii. Any other work assigned by the authorities from time to time.


Selection Process

It is clarified that the every vacancy of the BRCCs shall be advertised and duly publicized by the DIET concerned so that interested

candidates can apply for the vacant post. All the eligible candidates shall be called for interview. Where the tenure of BRCCs is about to complete, the selection process shall be started at least three months in advance so that the vacancy is filled up well in time. All the appointments against the posts of BRCCs shall be done strictly as per this policy. The existing incumbents who have completed tenure as per this policy shall be repatriated back to their parent cadre immediately on the selection of new incumbent. However they have an option to apply after cooling-off period of 3 years subject to fulfillment of the eligibility criteria under this policy.


You are, therefore, requested to take further immediate necessary action accordingly under intimation to this Department.

Yours faithfully,


Joint Secretary (Ele. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh
Dated: 16-11-2013

Endst. No. As above.

✓ Copy forwarded to the State Project Director, HP for information and similar necessary action.


Joint Secretary (Ele. Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

DA. 2304

6/11/13

Most Immediate

No. EDN-C-B(6)-1/2012
Government of Himachal Pradesh
Department of Elementary Education

From:

Pr. Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh

To

The Director Elementary Education-cum-
Mission Director(SSA),
Himachal Pradesh, Shimla-1.
Dated Shimla-171002, the

October, 2013

Subject- Regarding formulation of Policy for Block Resource Centre
Coordinators(BRCCs) under Sarva Shiksha Abhiyan.
Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the matter regarding framing of Policy for Block Resource Centre Coordinators(BRCCs) covering various aspects like eligibility conditions, selection criteria, appointment, tenure, controlling authority etc. under Sarva Shiksha Abhiyan was under consideration of the Govt. for some time past. Now, it has been decided by the Govt. to frame Policy Guidelines for engagement of Block Resource Centre Coordinators(BRCCs) as per Annexure-'A' along with Performance Evaluation Tool Annexure-'B' in the Education Department.

You are, therefore, requested to take further immediate necessary action accordingly under intimation to this Department.

Encls. Annexure-'A' & 'B'.

Yours faithfully,

Joint Secretary (Ele.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh
Dated:

Endst. No. As above.

Copy forwarded to the Additional Secretary(GAD) to the GOHP w.r.t. Cabinet decision taken on 26th. October, 2013 under Item No. 35 for information.

Joint Secretary (Ele.Edu.) to the
Government of Himachal Pradesh

CD(4)

2923

31/10/13

Dr. Gulab Singh
25/10/13

DEE
SPD-SSA
30/10/13

Dr. Chelone

The Policy Guidelines for appointment of Block Resource Centre Coordinators(BRCCs):

i). Minimum qualification

| Qualification | Primary | Upper Primary | Percentage |
|---------------|---------|---------------|-------------|
| Educational | 10+2 | B.A./B.Sc. | Minimum 50% |
| Professional | J.B.T. | B.Ed. | Minimum 50% |

ii). Teaching Experience

Minimum 10 Years experience as regular teacher in the department of Education, Himachal Pradesh

iii) Eligibility Conditions

- Only JBT in case of BRCC primary and only TGT in case of Upper Primary
- There should be no departmental enquiry or proceedings pending or contemplated against the applicant or the person should not been punished or held guilty for misconduct or for dereliction of duty by the department at any stage of his career.
- If (s)he is promoted as CHT or Lecture/Head Master during his tenure as BRCC (s)he shall be repatriated back to his/her parent cadre.

iv) Age : Not more than 50 Years at the time of appointment

v) Tenure

- A BRCC shall be appointed initially for a period of one year.
- Tenure of BRCC's is extendable up to two years on the basis of performance evaluation which should at least be adjudged as "good".

- c) If the performance of the BRCC is not found good, or his/her working is not found in the interest of the project, (s)he can be repatriated back to his/her parent deptt. at any stage.
- d) On exceptional performance as BRCC, it can be further extended upto another two year by the recommendation of State Project Director.
- e) The BRCC's shall be repatriated after 2/4 years as the case may be. After repatriation, the BRCCs can re-apply after cooling off period of 3 years.
- f) A BRCC's whose performance was not found satisfactory or who was found to have been working against the interest of the project or against whom departmental proceedings have been initiated by the department shall not be eligible to apply after the prescribed cooling off period of 3 years.

vi) Selection Committee at District level

- a) Deputy Commissioner: Chairman
- b) Deputy Director Elementary : Member
- c) Deputy Director Higher : Member
- d) District Project Officer-Cum-Principal: Member Secretary

The selection will be made by the selection committee after the interview on the basis of marks obtained in the interview as per the well defined selection criterion.

VII. Selection Criteria

1. The selection will be made by the selection committee after interview on the basis of marks obtained in the interview on the following criterion:-

a) Primary

| Criteria | Educational qualification | | Teaching Experience | | Higher Qualification | Personality Test/Interview | Total |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------|
| | Academic | Professional (JBT) | Teaching | As RP* | | | |
| Maximum Marks | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 |

• Resource Person

Distribution of marks Academics

| | | |
|----|---------------|-------|
| i. | Qualification | Marks |
| | Matric | = 10 |
| | 10+2 | = 20 |

Note:- The marks for the qualification, both the academic and the professional, shall be awarded proportionality to the percentage obtained in that class/category by the applicant.

| | | |
|-----|------------------|---------------|
| ii. | Higher Education | Maximum marks |
| | B.Ed./Graduation | = 3 |
| | M.Ed./PG | = 6 |
| | M.Phil | = 8 |
| | Ph.D | = 10 |

| | | |
|------|-----------------------|------|
| iii. | Teaching Experience : | |
| | Upto 10 Years | = 5 |
| | Upto 11 Years | = 6 |
| | Upto 12 Years | = 7 |
| | Upto 13 Years | = 8 |
| | Upto 14 Years | = 9 |
| | Upto 15 Years | = 10 |

iv. Experience as Resource Person:

| | | |
|--|---|----|
| National level, Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 15 |
| RP National level only | = | 12 |
| RP State level Publication/Book Manual writing related to SS/Education | = | 10 |
| RP State level only | = | 8 |
| District level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 6 |
| District level RP only | = | 4 |
| Block level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 3 |
| RP block level | = | 2 |

b) Upper Primary

| Criteria | Educational qualification | | Teaching Experience | | Higher Qualification | Personality Test/Interview | Total |
|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------|
| | Academic | Professional (B.Ed.) | Teaching | As RP* | | | |
| Maximum Marks | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 |

• Resource Person

Distribution of marks Academics

| | | |
|----|---------------|-------|
| i. | Qualification | Marks |
| | 10+2 | = 10 |
| | Graduation | = 20 |

Note:- The marks for the qualification, both academic and professional, shall be awarded proportionality to the percentage obtained in that class/category by the applicant.

| | | |
|-----|------------------|---------------|
| ii. | Higher Education | Maximum marks |
| | M.Ed. | = 3 |
| | M.A./M.Sc | = 6 |
| | M. Phil | = 8 |
| | Ph.D | = 10 |

-5-

iii. Teaching experience :

| | | |
|---------------|---|----|
| Upto 10 Years | = | 5 |
| Upto 11 Years | = | 6 |
| Upto 12 Years | = | 7 |
| Upto 13 Years | = | 8 |
| Upto 14 Years | = | 9 |
| Upto 15 Years | = | 10 |

iv. Experience as Resource Person:

| | | |
|--|---|----|
| National level, Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 15 |
| RP National level only | = | 12 |
| RP State level Publication/Book Manual writing related to SS/Education | = | 10 |
| RP State level only | = | 8 |
| District level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 6 |
| District level RP only | = | 4 |
| Block level RP Publication/Book/Manual writing related to SSA/Education | = | 3 |
| RP block level | = | 2 |

VIII . Appointment of BRCC's

- The recommendations of the selection committee shall be forwarded by the concerned DPO (SSA) to the State Project Office (SSA) which in turn shall forward the same with

recommendations /remarks to the Directorate of Elementary Education for issuing the appropriate orders of the appointment. No teacher shall be appointed as BRCC on ad-hoc basis and no teacher shall be given charge of BRCC on temporary basis that has not been recommended by the selection committee. BRCC Primary and Upper Primary can be entrusted to look after the work of each other in case of vacancy at either level.

- No CHT or Lecturer /Head Master shall be appointed as BRCC and the present incumbent, if promoted to any of these posts, shall cease to be BRCC.

IX Designated controlling officers for maintaining the service record

Guidelines for the sanction of leave, attendance, pay and TA/DA of the BRCCs shall be as under:-

- a) The Block Project Officers (SSA) i.e. Principal of the Block Senior Secondary School shall be the Controlling Officers of the BRCCs and they shall be competent to sanction casual/restricted leaves of both the BRCs and keep record thereof.
- b) The earned leave of the BRCCs shall be sanctioned by the DPO-cum-Principal DIET on the recommendations of the BPO (SSA).
- c) Single attendance register of both the BRCCs shall be maintained at the BRCCS office where the BRCC is at a distance both from the BPO as well as BEEO offices. Where the office of the BRCCs and BEEO is in the same complex/building the register shall be kept in BEEO office for BRCC (Primary) and BPO office for BRCC (Upper Primary) who shall check and sign it regularly.
- d) The service books of the BRCCs shall be kept at the office of DPC(SSA) cum Deputy Director Elementary Education Officer who shall draw salary and medical claims of the BRCCs centrally against the posts created under SSA/vacant posts/posts against which the lien of the BRCCs is kept, as the case may be.

- e) The four programme of BRCCs shall be approved by the DPO concerned and TA/DA claims shall also be settled by DPO office only.
- f) Since the BRCCs shall not be entitled to summer/winter and other vacations in schools, he shall be entitled for earned and medical leave as admissible to non-vocational institutional staff.
- g) The Annual Confidential Reports of the BRCCs shall be initiated by the BPO and reviewed by the DPO and finally accepted by the Deputy Director and Director Elementary Education, as the case may be.

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश
खण्ड स्रोत समन्वयक की ग्रेडिंग हेतु मॉनिटरिंग टूल
सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश

खण्ड स्रोत समन्वयक का नाम _____ प्राथमिक/माध्यमिक _____

खण्ड: _____ जिला: _____

कुल अंक: 100 प्राप्तांक: _____

1. सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत स्वीकृत इकाई (अतिरिक्त कमरे, पीने का पानी, अलवाल, बालिका शौचालय, चार दीवारी, खेल का मैदान, पुस्तकालय, रसोई शाला आदि) को पूरा किया गया है।

| | |
|----------------|---|
| (क) (90-100) % | 4 |
| (ख) (80-100) % | 3 |
| (ग) (70-80) % | 2 |
| (घ) 70 स कम | 1 |

(क्रम बरतना से RTE Compliant नहीं हैं। School wise ब्योरा दे तथा रिकार्ड उपलब्ध होना चाहिए।)

1.
2.
3.

2. पुस्तकालय

| | |
|--|---|
| (क) क्या खंड स्तर पर पुस्तकें उपलब्ध हैं ? | 1 |
| (ख) इन पुस्तकों का सही उपयोग हो रहा है। | 2 |
| (ग) पुस्तकें उपलब्ध होने के बावजूद उपयोग नहीं हो रही है। | 0 |

3. स्कूल स्तर पर पुस्तकालय

| | |
|---|---|
| (क) सभी पाठशालाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा बच्चे उनका उपयोग कर रहे हैं। | 2 |
| (ख) पाठशालाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा बच्चे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। | 1 |
| (ग) सभी पाठशालाओं में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। | 0 |

(सर्वोपलब्ध करने हेतु नमूने के तौर पर कुछ पाठशालाओं का पुस्तकालय issue register देखा जाए।)

(10)

4. खण्ड विकास योजना

- (क) खण्ड स्तर के सभी संकुलों का विश्लेषण, खण्ड विकास योजना तैयार की गई उसका कार्यान्वयन हो रहा है। 2
- (ख) सभी स्कूलों का विश्लेषण, खण्ड विकास योजना तैयार की गई परन्तु उसका नियमित कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। 1
- (ग) संकुलों का कोई विश्लेषण नहीं है तथा कोई खण्ड विकास योजना भी नहीं है। 0

5. शिक्षण अधिगम सामग्री

- (क) शिक्षण सामग्री का एक अलग कौना बनाया गया है तथा उसका खण्ड स्तर के प्रशिक्षण में प्रयोग हो रहा है। 2
- (ख) शिक्षण सामग्री उपलब्ध है परन्तु उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। 1
- (ग) शिक्षण सामग्री विकसित हो नहीं पाई है। 0

6. गत वर्षों में खण्ड स्तर पर शिक्षण अधिगम सामग्री के खर्च का ब्यौरा:

- (क) उपलब्ध है। 2
- (ख) उपलब्ध नहीं है। 0

7. पिछले कई वर्षों से खण्ड स्तर पर अध्यापकों के विभिन्न प्रशिक्षण करवाए गये हैं। क्या प्रशिक्षणों का गुणवत्ता किया गया? यदि हाँ, तो उस प्रशिक्षण का बच्चों के उपलब्धि स्तर में कितना सुधार आया-

- (क) 10 प्रतिशत से अधिक 2
- (ख) 5-10 प्रतिशत तक 1
- (ग) 5 प्रतिशत से कम 0



8. A) खण्ड स्तर पर ग्रेडिंग के आधार पर कक्षा 1 से 5 (Primary) तक A & A* Grade प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रति शता

| | |
|----------------|---|
| (क) (90-100)%: | 4 |
| (ख) (70-90)% | 3 |
| (ग) (50-70)% | 2 |
| (घ) (35-50)% | 1 |
| (ङ) (1-34)% | 0 |

B) खण्ड स्तर पर ग्रेडिंग के आधार पर कक्षा 6 से 8 (Upper Primary) तक A & A* Grade प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रति शता

| | |
|----------------|---|
| (क) (90-100)%: | 4 |
| (ख) (70-90)% | 3 |
| (ग) (50-70)% | 2 |
| (घ) (35-50)% | 1 |
| (ङ) (1-34)% | 0 |

9. खण्ड स्तर पर सन्वयक द्वारा स्कूलों का अनुश्रवण (निर्धारित संख्या 5 से 10 स्कूल प्रतिमाह)

| | |
|--|---|
| (क) स्कूलों का अनुश्रवण किया, यह जाकर सभी समस्याओं का समाधान किया गया तथा स्कूलों में एक आदर्श पत्र भी दिया गया (खण्ड स्तर पर सम्बन्धित विद्यार्थी उपलब्ध होना चाहिए।) | 2 |
| (ख) स्कूलों का अनुश्रवण किया परन्तु स्कूलों में आदर्श पत्र नहीं दिया | 1 |
| (ग) स्कूलों का अनुश्रवण नहीं किया तथा आदर्श पत्र भी नहीं दिया गया। | 0 |

(10 अंशों को 100 से 0 द्वारा चार भाग में एक तिहाई स्कूलों का अनुश्रवण व वर्ष भर में अपने खण्ड के सभी स्कूलों का अनुश्रवण अनिवार्य है।)

(17)

मुख्य मानक

10. A) कक्षा 5 (for Pry.) में प्रत्येक term test के बाद खण्ड स्तर पर Grade-A & A* प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता

| | |
|---------------|---|
| (क) (90-100)% | 4 |
| (ख) (70-90)% | 3 |
| (ग) (50-70)% | 2 |
| (घ) (35-50)% | 1 |
| (ङ) (1-34)% | 0 |

B) कक्षा 8 (for U/Pry.) में प्रत्येक term test के बाद खण्ड स्तर पर Grade-A& A* प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता

| | |
|---------------|---|
| (क) (90-100)% | 4 |
| (ख) (70-90)% | 3 |
| (ग) (50-70)% | 2 |
| (घ) (35-50)% | 1 |
| (ङ) (1-34)% | 0 |

11. पिछले वर्ष खण्ड स्तर पर बच्चों का सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों/अन्य खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधियाँ व अन्य में चयन (बच्चों की संख्या)

| | |
|-----------------------|---|
| (अ) 4 या ज़्यादा अधिक | 2 |
| (ब) 3 से कम | 1 |
| (ग) कोई नहीं | 0 |

(निम्न बच्चों की पूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए)

12. खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान से सम्बन्धित विभिन्न रिकार्ड का रख रखाव तथा समय पर सूचन भेजना।

- (क) रिकार्ड के रख-रखाव का स्तर अच्छा है तथा नियमित रूप से सूचनाएं भेजी जाती हैं। 2
- (ख) रिकार्ड के रख-रखाव का स्तर अच्छा है परन्तु समय पर सूचनाएं नहीं भेजी जाती हैं। 1
- (ग) दो में से कोई नहीं। 0

(सत्यापित करने के लिए खण्ड स्तर का रिकार्ड अग्रिम देखा जाए।)

13. क्या खण्ड स्तर पर खण्ड स्त्रोत समूह (BRG) का गठन किया गया है?

- (क) यदि हाँ, तो सदस्यों को सेवाएं प्रशिक्षण तथा खण्ड के शैक्षिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियों में प्रयोग की जा रही हैं। 2
- (ख) यदि हाँ, परन्तु खण्ड स्त्रोत समूह (BRG) का सक्रिय योगदान सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। 1
- (ग) खण्ड स्त्रोत समूह (BRG) का गठन ही नहीं किया गया है। 0

(BRG) के सदस्यों को सूची व उनकी भौक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा उनकी सेवाओं का रिकार्ड उपलब्ध हो।

14. A) खण्ड स्तर पर 6 से 11 वर्ष के बच्चों का NER (प्राथमिक स्तर)

- (क) 90-100 प्रतिशत 2
- (ख) 80-90 प्रतिशत 1
- (ग) 80 प्रतिशत से कम 0

(सरकारी तथा निजी स्कूलों के आंकड़ों पर आधारित)

b) खण्ड स्तर पर 11 से 14 वर्ष के बच्चों का NER (माध्यमिक स्तर)

- (क) 85-100 प्रतिशत 2
- (ख) 70-85 प्रतिशत 1
- (ग) 70 प्रतिशत से कम 0

(सरकारी तथा निजी स्कूलों के आंकड़ों पर आधारित)

15. खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले वर्ष तक खर्च की गई राशि (निर्माण कार्यों छोड़कर)

- | | |
|---------------------------------|---|
| (क) पूर्ण राशि खर्च की गई | 2 |
| (ख) 5000/- रु0 तक की शेष राशि | 1 |
| (ग) 5000/- रु0 से अधिक शेष राशि | 0 |

(रिकार्ड तैयार किए गए)

16. अपने खण्ड में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्धियों की Documentation की है ?

- | | |
|----------|---|
| (क) हाँ | 2 |
| (ख) नहीं | 0 |

17. खण्ड स्त्रोत समन्वयक के पद पर रहते हुए क्या कोई Action Research/Micro Research study की

- | | |
|----------|---|
| (क) हाँ | 2 |
| (ख) नहीं | 0 |

18. Research study के परिणामों के आधार पर कोई—

- | | |
|--|---|
| (क) रणनीति बनाई और उसे लागू किया। | 2 |
| (ख) रणनीति बनाई परन्तु उसे लागू नहीं किया। | 1 |
| (ग) कोई रणनीति नहीं बनाई। | 0 |

19. खण्ड स्तर पर प्रभावशाली SMC

- | | |
|----------------------|---|
| (क) 10 या 10 से अधिक | 2 |
| (ख) 5 से 10 के बीच | 1 |
| (ग) 5 से कम | 0 |

(प्रभावशाली SMC से अभिप्राय : 1. स्कूल विकास योजना बनाने में भागीदारी 2. बच्चों के उपलब्धि स्तर की जाँच एवं सुधार के लिये प्रयास/सहयोग 3. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जाँच में सहयोग 4. स्कूल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि।)

20. क्या स्कूल से बाहर बच्चों (OOSC) का खण्ड स्तर पर सर्वे किया गया है ?

- | | |
|----------|---|
| (क) हाँ | 2 |
| (ख) नहीं | 0 |

21. कितने प्रतिशत OOSC तथा NRST centres के बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया है-
- (क) सभी 2
- (ख) 50 प्रतिशत 1
- (ग) 50 प्रतिशत से कम 0
- (घट्टे ग्रेड स्तर कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर (OOSC) नहीं है उसे पूरे अंक दिए जाए।)

22. स्कूल से बाहर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे -
- (क) 5 से कम 2
- (ख) 5 से 10 के बीच 1
- (ग) 10 से अधिक 0

(खण्ड स्तर पर प्रत्येक बच्चे का Profile उपलब्ध हो। उन बच्चों के नाम सहित सूची उपलब्ध हो जिन्हें मुख्य धारा में लाया गया है।)

23. क्या रिपोर्ट्स कम क्रियाशील हैं?
- (क) हाँ 2
- (ख) नहीं 0

(सिखने वाले बच्चों को रिपोर्ट्स कम न भेजाएँ दी गईं उनका Profile एवं माता-पिता का Feedback उपलब्ध हो।)

24. क्या खंड स्तर पर -
- (क) नवाचार व सर्वश्रेष्ठ कार्य (Innovation and best practices) किए गये, 4
- (ख) नकल 2
- (ग) सर्वश्रेष्ठ कार्य 2
- (घ) कोई नहीं 0

(नवाचार के लिए शुद्ध व सुरक्षित पैयजल के लिए नए तरीके अपनाने, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, पठन-पाठन की प्रक्रिया में नये तकनीकों को लागू करना, बच्चों के विचारों के प्रदर्शन के लिए Learning Wall/ Display Board, लड़कियों और लड़कों के भाँचालयों में आधुनिक सुविधाओं व सफाई इत्यादि।)

(सर्वश्रेष्ठ कार्य बच्चों में अनुशासन, समय की पाबन्दी, नैतिक मूल्यों को अपनाना, बच्चों के सर्वश्रेष्ठ व प्रदर्शन व अन्य दस्तावेज खण्ड स्तर पर तैयार किया हो इत्यादि)

25. खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) खण्ड स्रोत समन्वयक (BRCC) खण्ड स्रोत समूह (BRG) के सदस्यों में आपसी तालमेल

- (क) प्रत्येक स्तर के सभी अधिकारियों का मिलकर खण्ड में शिक्षा के विकास के लिए सक्रिय योगदान।
- (ख) खण्ड स्तर पर शिक्षा का केवल एक स्तर द्वारा कार्यान्वयन।
- (ग) उपरोक्त अधिकारियों के आपसी तालमेल की कमी।

(बैठकों का रिकार्ड उपलब्ध हो)

26. जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों तथा कार्यशालाओं में उपस्थिति एवं कार्य करने की योग्यता के आधा जिला परियोजना कार्यालय द्वारा प्रत्येक खण्ड स्रोत समन्वयक के लिए निम्न मानकों पर अंक निर्धारण:-

- (क) (i) खण्ड स्रोत समन्वयक ने प्रत्येक समीक्षा बैठक में समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। 6
- (ii) समीक्षा बैठक / कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति बहुत अच्छी दी। 6
- (iii) बैठक/कार्यशाला के सभी सत्रों में उपस्थिति शत-प्रतिशत रही। 6
- (iv) सन्वन्धित खण्ड स्रोत समन्वयक पठन-पाठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सहायता देने में सक्षम हैं। 6
- (ख) (i) खण्ड स्रोत समन्वयक ने प्रत्येक समीक्षा बैठक में भाग लिया किन्तु समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की। 3
- (ii) समीक्षा बैठक/कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति औसत रही। 3
- (iii) सभी सत्रों में कभी-कभी अनुपस्थिति दर्ज की गई। 3
- (iv) सन्वन्धित खण्ड स्रोत समन्वयक पठन-पाठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सहायता देने में सक्षम नहीं रहे। 3
- (ग) (i) खण्ड स्रोत समन्वयक ने प्रत्येक समीक्षा बैठक में बिना टोस कारण भाग नहीं लिया। 0
- (ii) समीक्षा बैठक/कार्यशाला के दौरान दिए गये कार्य की प्रस्तुति औसत से कम रही। 0
- (iii) सभी सत्रों में अधिकांश समय अनुपस्थिति दर्ज की। 0
- (iv) सन्वन्धित खण्ड स्रोत समन्वयक पठन-पाठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु सहायता देने में सक्षम नहीं रहे। 0

औसत से कम रहा।

0

27. खण्ड स्तर के मॉडल स्कूल में बच्चों तथा अध्यापकों के लिए विशेष सुविधाएं

- (क) (i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरूप देखने में आकर्षक, प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा-कक्ष जो प्रकाशयुक्त, हवादार एवं साफसुथरे हैं, Building as Learning aid (BaLA) फीचर्स, पुरतकालय, लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था। 4
- (ii) सत्र-सत्र पर बाल सभा व ऐसी गतिविधियां करवाना। 4
- (iii) पर्याप्त अधिगम शिक्षण सामग्री, बच्चों का अच्छे उपलब्धि स्तर, CCE को और बेहतर बनाने हेतु खण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा स्कूलों को शैक्षिक सहायता एवं CCE रजिस्टर की नियमित जांच। 4
- (iv) SMC की भार्गोदारी हेतु संस्थागत प्रयास। 4
- (ख) (i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरूप देखने में आकर्षक, प्रत्येक कक्षा के लिए कक्षा-कक्ष जो प्रकाशयुक्त, हवादार एवं साफसुथरे हैं, Building as Learning aid (BaLA) फीचर्स हैं किन्तु गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं। लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था बेहतर नहीं है। 2
- (ii) बाल सभा व ऐसी गतिविधियां कभी-कभी करवाना। 2
- (iii) पर्याप्त अधिगम शिक्षण सामग्री, बच्चों का औसत उपलब्धि स्तर, CCE को और बेहतर बनाने हेतु खण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा स्कूलों को पर्याप्त शैक्षिक सहायता एवं CCE रजिस्टर की नियमित जांच न होना। 2
- (iv) SMC की भार्गोदारी हेतु संस्थागत कम प्रयास। 2
- (ग) (i) स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुरूप नहीं है 0
- (ii) बाल सभा व ऐसी गतिविधियां का न करवाना। 0
- (iii) अधिगम शिक्षण सामग्री न होना, बच्चों का उपलब्धि स्तर औसत से कम होना, CCE को और बेहतर बनाने हेतु खण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा स्कूलों को शैक्षिकसहायता न देना एवं CCE रजिस्टर की जांच न होना। 0
- (iv) SMC की भार्गोदारी हेतु संस्थागत का प्रयास न करना। 0

(18)

| खण्ड ग्रेड | प्रथम मूल्यांकन (अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह) | अन्तिम मूल्यांकन (अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह) |
|------------------------------|--|--|
| मूल्यांकन की तिथि | | |
| प्राप्त अंकों का योग | | |
| खण्ड स्थिति पर प्राप्त ग्रेड | | |

खण्ड स्त्रोत समन्वयक को (BRCC) की भेडिंग जिता स्तर पर सभिति करीगी जिसके सदस्य निम्न होंगे।

| क्र. सं. | नाम व पदनाम | पद | हस्ताक्षर |
|----------|--|---------|-----------|
| 1. | प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजना अधिकारी (SEA) | अध्यक्ष | |
| 2. | प्रधानाचार्य एवं खण्ड परियोजना अधिकारी खण्ड स्त्रोत समन्वयक (माध्यमिक) के लिए | सदस्य | |
| 3. | खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी खण्ड स्त्रोत समन्वयक (प्राथमिक) के लिए | सदस्य | |
| 4. | सामाजिक समन्वयक जिला परियोजना कार्यालय | सदस्य | |

खण्ड की ग्रेडिंग (Grading) के लिए जिला परियोजना अधिकारी को दिशा-निर्देश

- 1) प्रत्येक जिला परियोजना अधिकारी को हर खण्ड की छः माह में एक बार ग्रेडिंग सुनिश्चित करनी होगी।
- 2) खण्ड ग्रेडिंग की सूचना को एक स्तर से दूसरे तक पहुंचाना:

| क्र. सं० | स्तर | जिसे सूचना सौंपनी है | अवधि | मूल्यांकन तथा सूचना पहुंचाने का माह |
|----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | जिला परियोजना कार्यालय (DPO) | राज्य परियोजना निदेशक (SPD) | अप्रैल से सितंबर अक्टूबर से मार्च | अक्टूबर माह के अन्तिम स्तरह अप्रैल माह के अन्तिम स्तरह |

- 3) प्रत्येक खण्ड की ग्रेडिंग (Grading) के लिए निम्न मानदण्ड (Criteria) निश्चित किया गया है-

| अंक | खण्ड संख्या | ग्रेड | उपलब्धि स्तर |
|------------------|-------------|-------|-------------------|
| 90-100 प्रतिशत | | A+ | Excellent |
| 80-90 प्रतिशत | | A | Very good |
| 60-80 प्रतिशत | | B+ | Good |
| 40-60 प्रतिशत | | B | Average |
| 40 प्रतिशत से कम | | C | Needs Improvement |

- 4) ग्रेडिंग के पश्चात प्रत्येक जिला परियोजना अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक को गम्भीर समस्या का सामना करने वाले खण्डों की ओर विशेष ध्यान देना होगा तथा खण्ड के अंतर्गत संकुलों एवं विद्यालयों की कमियों एवं उपलब्धियों पर जिला स्तर की मासिक बैठक में चर्चा करके उनका समाधान खोजना होगा। फिर भी यदि कुछ खण्डों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर संभव नहीं हो तो उनके समाधान हेतु राज्य स्तर पर अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर बातचीत की जाए।
- 5) प्रत्येक जिला परियोजना अधिकारी/ जिला परियोजना समन्वयक को अपने खण्डों की ग्रेडिंग सूची सूचना पट्ट पर दर्शानी होगी जिसके समय-समय पर राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीमों द्वारा जांचा जाएगा।
- 6) यह ग्रेडिंग कुल 100 अंको की होगी जिसे उपरोक्त जिले द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति करेगी।
- 7) अनुश्रवण के तुरन्त बाद जिला परियोजना कार्यालय, खण्ड क्षेत्र समन्वयकों की (BRCCs) की सूची ग्रेडिंग टूलज के साथ राज्य परियोजना कार्यालय को भेजे।
- 8) राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष दो बार (नवंबर माह व मई माह) खण्ड क्षेत्र समन्वयकों (BRCCs) व जिला स्तर सदस्यीय समिति का संव्यवित राज्य समन्वयक के साथ समीक्षा बैठक होगी।

(20)

- 5) खण्ड स्रोत सनन्दयक की ग्रेडिंग की जांच से संबंधित निर्णयों के लिए उपायुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान अधीन प्राधिकारी होंगे।